

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न०- 407/2022

जी सी एम एस न० 2022/947

श्रवण सिंह

दर्ज दिनांक 01.11.2022

निर्णय दिनांक 23.12.2022

अमर सिंह आदि

बनाम


अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2022 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी के भूमि खाता संख्या नया 128 व पुराना खाता संख्या 114 खसरा न. 1256/554 रकबा 0.10 है, खसरा न. 569 रकबा 0.78 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 है. में वादी श्रवण सिंह पुत्र सुगन सिंह निवासी किशोरपुरा व प्रतिवादी संख्या 8 देवेन्द्र सिंह पुत्र मगन सिंह व प्रतिवादी संख्या 19 समुद्रसिंह पुत्र सुगन सिंह निवासी किशोरपुरा के हिस्से की भूमि का कब्जा एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।


प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.12.2022 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से पत्र क्रमांक:- भू.अ./2022/3972 दिनांक 20.12.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.12.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.12.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।


रामसिंह राजावत
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न०- 407/2022

जी सी एम एस न० 2022/947

श्रवण सिंह

दर्ज दिनांक 01.11.2022

निर्णय दिनांक 23.12.2022


अमर सिंह आदि

बनाम

अंतिम निर्णय
दावा विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...
-..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.12.2022 को अंतिम डिक्री
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.12.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम
निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार
उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन
प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज..-.....निल.....
..... मुबलिक -.....निल..... दाबन.-.....निल.....
..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.....निल.....
फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -.....निल.....
. का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह
12 सन 2022 को जारी की गई।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी